

2/6/17

रा. ए. के.

पत्रावली केरा हुई। मूल वाद पत्रावली का निर्णय हो चुका है। अतः इस प्रार्थना पत्र की कोरे अर्ज-पत्ररसे का अंतर्निष्ठा नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा किया जाता है। पत्रावली केवल अन्तर्दोषों का ही कार्य है एवं दायित्व हथकड़ी है।


2/6/17



सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जोधपुर